# बलात्कार से जुड़े मिथक

वीणा शिवपुरी

- **मन ही मन औरतें चाहती हैं कि उनके साथ बलात्कार हो।**

— ग़लत! बलात्कार को सही ठहराने के लिए मर्दों ने यह बहाना गढ़ लिया है कि औरतों को ज़ोर-जबरदस्ती अच्छी लगती है। किसी भी औरत को मर्जी के खिलाफ़ शरीर से खिलवाड़ पसंद नहीं है। न उसमें आनंद आता है। बलात्कार की शिकार औरतों का कहना है कि उनके मन में डर, शर्मिंदगी, घृणा, गुस्सा जैसे भाव उठते हैं।

- **पुरुष औरत को देख कर यौन उत्तेजना पर काबू नहीं रख पाता। इसलिए बलात्कार यौन उत्तेजना का अपराध है।**

— यह दोनों बातें गलत हैं। पुरुष भी अपनी यौन इच्छा पर चाहे तो काबू रख सकता है। बलात्कार के पीछे यौन उत्तेजना नहीं होती बल्कि हिंसा, आक्रामकता, दबाने और हमला करने की इच्छा होती है। बलात्कार ताक़त जतलाने और स्त्री को कुचलने की इच्छा से पैदा होने वाला अपराध है।

- **औरतें खुद ही अपने कपड़े-लत्ते और बातचीत करने के ढंग के जरिए बलात्कार को न्यौता देती हैं।**

— कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि उसके साथ हिंसा हो या उसकी बेइज्ज़ती हो। फिर औरतें क्यों चाहेंगी। बुर्के में ढकी औरतों के साथ भी बलात्कार की घटनाएं होती हैं। बलात्कार की पूरी ज़िम्मेदारी और गुनाह बलात्कारी मर्द का है।

- **अगर बलात्कार के समय औरत संघर्ष नहीं करती तो इसका मतलब है कि वह राज़ी है और इसे बलात्कार नहीं माना जाएगा।**

— ग़लत! तन और मन से औरतों को इस काबिल ही नहीं बनाया जाता कि वे मर्द के हमले का सामना कर सकें। मारपीट और जान के खतरे के कारण उनके हाथ-पैर ठंडे पड़ सकते हैं। उनमें विरोध करने की ताक़त खत्म हो सकती है। इसका यह मतलब नहीं कि यह सब उनकी मर्ज़ी से हो रहा है।

- **बलात्कारी हमेशा अजनबी होते हैं।**

— यह एक ग़लतफ़हमी है। जांच करने से पता चलता है कि ज्यादातर मामलों में बलात्कारी लड़की या औरत का जानकार पुरुष होता है। उस पर वह भरोसा करती है। जैसे परिवार के मर्द, पड़ौसी, जान पहचान वाले डाक्टर, मास्टर, नौकर, वगैरह।

- **बलात्कारी मर्द पागल या दिमागी रूप से बीमार होते हैं।**

— यह भी एक मिथक है ताकि इस सच्चाई का

पता न लग सके कि कोई भी पुरुष बलात्कारी हो सकता है। बलात्कारी हर वर्ग, पेशे, धर्म और जाति के होते हैं। पढ़े-लिखे और अनपढ़ भी होते हैं। उनमें ऐसी कोई बात नहीं होती जो आम मर्दों में नहीं होती। या जिससे उन्हें अलग से पहचाना जा सके। दिमागी बीमारी के बहाने उनके लिए सहानुभूति पैदा करने की कोशिश की जाती है। सच्चाई यह है कि वे किसी दया के हक़दार नहीं हैं।

- **बलात्कार सिर्फ़ बुरे चाल-चलन वाली औरतों के साथ होता है।**

— औरत के चाल-चलन से बलात्कार का कोई ताल्लुक नहीं है। कुछ समय पहले मेरठ में हुए इसाई साध्वियों के बलात्कार से यह साबित हो जाता है। बलात्कार का कारण औरत नहीं है। वह सिर्फ़ शिकार है।

- **जब पति औरत के साथ जबरदस्ती करता है तो वह बलात्कार नहीं है।**

— बलात्कार का मतलब है औरत की मर्जी के खिलाफ़ उसके साथ संभोग। इस हिसाब से पति की जबरदस्ती भी बलात्कार है। वैसे अफ़सोस है कि भारतीय कानून ने अभी तक इस हिंसा को नहीं पहचाना है।

- **बलात्कार होने पर कानूनी रास्ता अपनाना बेकार है क्योंकि अधिकारी कुछ नहीं करते।**

— हालांकि कानूनी रास्ता बहुत कठिन है लेकिन यह ज़रूरी है कि बलात्कार की रपट की जाए। अगर पुलिस थाना न हो तो डाक्टर या स्वास्थ्य कार्यकर्ता को बताया जाए। बलात्कार जैसे अपराध पर चुप रह जाना उसे बढ़ावा देना है।

***कोई फ़र्क नहीं बलात्कार होने***
***और पक्की सीढ़ियों से नीचे धकेले जाने में***
***सिवा इसके कि घाव मन के भीतर भी***
***रिसते हैं।***
***कोई फ़र्क नहीं बलात्कार होने***
***और ट्रक तले कुचले जाने में***
***सिवा इसके कि मर्द पूछते हैं—***
***'मज़ा आया था?'***
***कोई फ़र्क नहीं बलात्कार होने***
***और फुफकारते सांप के काटने में***
***सिवा इसके कि लोग जानना चाहते हैं—***
***'तुम अकेली बाहर गई ही क्यों?'***
***कोई फ़र्क नहीं बलात्कार होने***
***और कार दुर्घटना में टूटे शीशे से***
***उछल कर बाहर गिरने में***
***सिवा इसके कि बाद में कारों से डर नहीं लगता***
***डर लगने लगता है आधी मानव जाति से।***

**(अंग्रेजी से अनुदित)**

- **औरतें बलात्कार के खिलाफ़ लाचार हैं।**

— ग़लत! कानून के अलावा औरतें और बहुत से तरीकों से इसके खिलाफ़ लड़ सकती हैं।

औरतें एक दूसरे से जुड़ कर दबाव समूह बना कर रपट दर्ज कराने से लेकर कानूनों में बदलाव लाने तक के काम कर सकती हैं। अपने गांव, समुदाय में उस व्यक्ति के खिलाफ़ जनमत बना कर उसका बहिष्कार करवा सकती हैं। जुलूस, नारों, मोर्चों से उसका सामाजिक अपमान कर सकती हैं।

बलात्कार की शिकार औरत को प्यार-बहनापा और हिम्मत दे सकती हैं। □